

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत रैणी

पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/292/14

अनुवान- उषा बनाम शिवचरण वगैरा निवासी रैणी तहसील रैणी ।

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट



02.05.2018:-आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रैणी पर मूल वाद के साथ पेश हुई । आज दिनांक 02.05.2018 को मूलवाद का निर्णय हो जाने से इस प्रार्थना पत्र में कार्यवाही शेष नहीं रह जाने के कारण कार्यवाही प्रकरण ड्रॉप की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंगन मूल वाद जमा लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट रैणी तहसील रैणी पर सुनाया गया ।

(सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत रैणी